F.No. 9(4)/2012-PD-II
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 13.04.2015

To

Principal Secretary/ Secretary,
Food and Civil Supplies Department,
All State Governments /UTs.

Subject: Forwarding of the Gazette copy of the notification of the Targeted Public Distribution (Control) Order, 2015 dated 20.03.2015.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the Targeted Public Distribution (Control) Order, 2015 as notified in Section 3 sub-section (i) of the Gazette Extraordinary vide GSR No. 213(E) dated 20.03.2015 for information and compliance. The new Order which has been issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, is in consonance with the NFSA, 2013 and replaces the PDS (Control) Order, 2001. As provided in the new Order, the provisions of the PDS (Control) Order, 2001 shall continue to have effect as against the corresponding provisions of the TPDS (C) Order, 2015 in State/UT which has not implemented the NFSA or is implementing it only in part.

2. As per the TPDS (C) Order, 2015, the States/UTs are required to furnish various reports to this Department as per prescribed proforma. In addition to the proforma prescribed in the new Order, the Department has also devised 7 more proformas (copies enclosed) seeking information from States/UTs for monitoring of implementation of TPDS.

3. Further, it has been decided to seek reports/information in the above proformas online through the web portal. NIC has already been requested to take necessary action for this purpose. As soon as the required infrastructure is ready, the States/UTs will be intimated about the same for furnishing the information online.

4. This issues with the approval of Joint Secretary (BP, PD).

Yours faithfully,

Encl as above.

(Sunil Chauhan)
Under Secretary to the Government of India
Telefax: 23389967

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936

No. 162] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

सा.का.नि. 213(अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, आवश्यक वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्नों की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक और समीचीन है कि, अर्थात् ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 को सिवाय उन चीजों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या जिनको करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए तथा इसमें नीचे उपबंधित के सिवाय निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 है।

(2) ये उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा:

परंतु सार्वजनिक वितरण (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपबंधों का किसी राज्य में जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया है या उक्त अधिनियम को केवल भागत: कार्यान्वित कर रहा है में इस आदेश के तत्स्थानी उपबंधों के लिए लागू होना जारी रहेगा।

2. परिभाषाएं - इस आदेश में —

(क) **"अधिनियम"** से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है;

(ख) **"आबंटन मास"** से वह मास अभिप्रेत है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है ;

(2) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपाबंध-1 के स्तंभ 5 में उपदर्शित सहायिकी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र गृहस्थियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की संख्या के कवरेज पर राज्यवार अधिकतम सीमा निम्नलिखित दो प्रवर्गों के अधीन होगी –

(I) विद्यमान अंत्योदय गृहस्थियां;

(II) शेष को इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मानदंड के अनुसार, पहचान की जाने वाली पूर्वीकता प्राप्त गृहस्थी श्रेणी के अधीन कवर किया जाएगा ;

(3) राज्यवार अंत्योदय गृहस्थियों की संख्या राज्य में स्वीकृत अंत्योदय गृहस्थियों की संख्या से जैसा कि उपाबंध- 1 के स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट है, से अधिक नहीं होगी :

परंतु जब कोई अंत्योदय गृहस्थी राज्य से बाहर प्रवास के कारण, सामाजिक या आर्थिक प्रास्थिति में सुधार, मृत्यु आदि के कारण अपात्र हो जाती है तो उस राज्य में किसी नई अंत्योदय गृहस्थी की पहचान नहीं की जाएगी और उस सीमा तक कुल अंत्योदय गृहस्थियां कम हो जाएंगी।

(4) अंत्योदय गृहस्थियों की संख्या में कमी होने पर, राज्य, उपखंड (2) में विहित अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, पूर्वीकता प्रवर्ग में व्यक्तियों के कवरेज को उस सीमा तक बढ़ा सकेंगे।

(5) राज्य सरकार समाज के सभी भेद्य या जरूरतमंद भागों को कवर करने पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्वीकता गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों को राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार द्वारा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सहायिकी प्राप्त खाद्यान्नों के आबंटन के प्रयोजन के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या में तब तक कोई वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक इस आदेश के लागू होने के पश्चात् अगली जनगणना से डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता है।

(7) पात्र गृहस्थियों की सूची नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के अधीन क्षेत्र की बाबत तैयार की जाएगी।

(8) राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों की अनंतिम सूची को पब्लिक डोमेन जिसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय और राज्य वेब पोर्टल भी है, पर पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों की प्रवर्ग वार सूची दर्शित करते हुए प्रदर्शित करेगी।

(9) राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों की सूची की जांच करने और सत्यापन के लिए भारत के महारजिस्ट्रार और जनसंख्या आयुक्त द्वारा भारत की जनगणना के दौरान तैयार की गई व्यक्तियों की सूची या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मतदाता सूची या सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डाटा या किसी अन्य प्राधिकृत स्रोत का उपयोग करेगी।

(10) राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों की सूची को अंतिम रूप प्रदान करने की विस्तृत प्रक्रिया के लिए अन्य बातों के साथ प्रारूप सूची तैयार करने की प्रक्रिया, पब्लिक डोमेन में प्रारूप सूची रखना जिसके अंतर्गत ग्राम सभा या शहरी क्षेत्रों में समतुल्य निकाय की बैठकों में सूची को पढ़ना, आक्षेप आमंत्रित करना, आक्षेपों, अपीलों और इसी प्रकार का निपटान करना भी है, विहित करेगी।

(11) स्थानीय प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी संयुक्त रूप से पात्र गृहस्थियों की अंतिम सूची का सत्यापन और प्रमाणन करेंगे तथा स्थानीय प्राधिकारी पात्र गृहस्थियों की अंतिम सूची को अंगीकार करने का संकल्प पारित करेगा।

(12) पात्र गृहस्थियों की अंतिम सूची को पब्लिक डोमेन जिसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय और राज्य वेब पोर्टल है, पर पात्र गृहस्थियों और उनके सदस्यों के नामों को प्रवर्गवार दर्शित करते हुए, प्रदर्शित किया जाएगा।

(13) राज्य सरकार अपात्र गृहस्थियों का लोप करने या पात्र गृहस्थियों को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए पात्र गृहस्थियों की सूची का नियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगी।

(14) पुनर्विलोकन के दौरान राज्य सरकार अन्य बातों के साथ पात्र गृहस्थियों या उनके सदस्यों की संख्या में राज्य में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण वृद्धि और पात्र गृहस्थियों या उनके सदस्यों की संख्या में राज्य से बाहर प्रवास, मृत्यु, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन को गणना में लेगी।

(18) राज्य सरकार बोगस या अपात्र राशन कार्डों का सतत रूप से उन्मूलन करने के लिए सभी प्रयास करेगी ।

(19) राज्य सरकार बोगस या अपात्र राशन कार्डों का उन्मूलन करने के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत से पूर्व एक वार्षिक विशेष अभियान आयोजित करेगी ।

(20) राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को त्रैमासिक आधार पर उपाबंध 2 में प्ररुप में विलोप किए गए या रद्द किए गए राशन कार्डों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

5. जारी करने का परिमाण और जारी करने का मूल्य—केंद्रीय सरकार पात्र गृहस्थियों को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परिमाण और मूल्यों पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय पूल से खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी ।

6. खाद्यान्नों का परिदान—(1) निगम राज्य सरकार से संदाय की रसीद की प्राप्ति के सात दिन के भीतर लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार वितरण के लिए प्रत्येक राज्य में नामनिर्दिष्ट डिपो तक विहित गुणवत्ता निर्दिष्टियों के खाद्यान्नों के वास्तविक परिदान का सुनिश्चय करेगा ।

(2) राज्यों द्वारा विकेन्द्रित उपापन का विकल्प लेने की दशा में, राज्य सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए उपाप्त और भंडार किए गए खाद्यान्नों की मात्रा में से केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों द्वारा वितरण के लिए खाद्यान्नों को जारी किया जाएगा और किसी कमी की दशा में निगम खाद्यान्नों की शेष मात्रा को उपखंड (1) में विहित रीति में पदनामित डिपो में उपलब्ध कराएगा ।

(3) राज्य सरकार आबंटन मास के पूर्ववर्ती मास के दौरान निगम को अग्रिम में खाद्यान्नों की लागत जमा करेगी जिससे खाद्यान्नों को खंड 7 के उपखंड (9) में विहित समय के अनुसार उठाया जा सके ।

7. राज्यों द्वारा खाद्यान्नों को उठाना—(1) राज्य सरकार अपने प्राधिकृत अभिकरण द्वारा निगम के पदनामित डिपो से खाद्यान्नों को उठाएगी ।

(2) राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन होने पर निगम से खाद्यान्नों को उठाने के लिए अपने अभिकरणों को प्राधिकृत करने के लिए आबंटन आदेश जारी करेगी और ऐसे आदेश में अन्य के साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा –

(i) कार्डों की संख्या और इकाइयां ;

(ii) हाथ में शेष ; और

(iii) किसी उचित दर दुकान की बाबत प्रत्येक मास में किया गया आबंटन ।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उचित दर दुकान को आबंटन करते समय शेष स्टॉक को, यदि कोई हो, जो उचित दर दुकान के स्वामी के पास अवितरित पड़ा हो, को पश्चातवर्ती आबंटनों में गणना में लेगा ।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उचित दर दुकान को किए गए आबंटन आदेश की एक प्रति स्थानीय प्राधिकारी, सतर्कता समितियों और उचित दर दुकान के कार्यकरण की मानीटरी के लिए राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी अन्य निकाय को परिदत्त की जाए ।

(5) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मास के दौरान उचित दर दुकान को आबंटित खाद्यान्नों के स्टाक को उपदर्शित करने वाला आदेश राज्य वेब पोर्टल सहित पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाए ।

(6) निगम से खाद्यान्नों का परिदान प्राप्त करने से पूर्व राज्य सरकार का खाद्य और नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के रैंक से अम्पून रैंक का कोई अधिकारी तथा निगम का कोई अधिकारी संयुक्त रूप से जारी करने के लिए आशयित खाद्यान्नों के स्टाक का विहित क्वालिटी विनिर्दिष्टियों की पुष्टि करने के लिए निरीक्षण करेगा ।

(7) संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् निगम गोदाम से खाद्यान्नों के डिस्पैच से पूर्व स्टैकवार सील किया हुआ संयुक्त रूप से आहरित नमूना, राज्य सरकार को उचित दर दुकान पर प्रदर्शन के लिए जारी करेगी और उसकी एक नकल निगम के पास भावी निर्देश के लिए रखी जाएगी :

परंतु राज्य सरकार के प्राधिकृत अभिकरण द्वारा निगम से खाद्यान्नों का परिदान लेने और उचित दर दुकान डीलरों को उनका परिदान करने से पूर्व किसी मध्यवर्ती गोदाम में भंडारण की दशा में, प्राधिकृत अभिकरण मध्यवर्ती गोदाम में इस उपखंड के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करेगा :

(8) राज्य सरकार उचित दर दुकान के स्वामियों के मार्जिन को बिना किसी विलंब के जारी करने का सुनिश्चय करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी।

(9) राज्य सरकार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित खाद्यान्नों से भिन्न अन्य वस्तुओं के विक्रय को उचित दर दुकान की उचित दर दुकान स्वामियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए अनुज्ञात करेगी।

10. उचित दर दुकानों का प्रचालन—(1) उचित दर दुकान स्वामी राशन कार्ड धारकों को उसकी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का संवितरण करेगा।

(2) राशन कार्ड धारक खाद्यान्नों की अपनी पात्रता को एक से अधिक किस्तों में आहरित कर सकेगा।

(3) उचित दर दुकान स्वामी खाद्यान्नों की आपूर्ति के पश्चात् राशन कार्डों को प्रतिधारित नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा उचित दर दुकान स्वामी को जारी अनुज्ञप्ति उचित दर दुकान के स्वामी के कर्तव्यों और दायित्वों को अधिकथित करेगी जिनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल होंगे,—

(i) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विहित खुदरा निर्गम मूल्य पर राशन कार्ड धारकों को पात्रता के अनुसार खाद्यान्नों का विक्रय ;

(ii) दैनिक आधार पर सहज दृश्य स्थान पर सूचना पट पर (क) खाद्यान्नों की पात्रता, (ख) निर्गम का परिमाण, (ग) खुदरा निर्गम मूल्य, (घ) उचित दर दुकान को खोलने और बंद करने के समय, जिसके अंतर्गत भोजनावकाश, यदि कोई हैं, भी है, (ङ.) मास के दौरान प्राप्त खाद्यान्नों का स्टाक, (च) खाद्यान्नों का अतिशेष और इतिशेष, (छ) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की क्वालिटी और मात्रा की बाबत शिकायतों के निपटान के लिए तंत्र सहित प्राधिकारी, (ज) टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, के संबंध में सूचना का प्रदर्शन ;

(iii) राशन कार्ड धारकों के अभिलेखों अर्थात् स्टाक रजिस्टर, निर्गम या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररुप, जिसके अंतर्गत अनुक्रमिक रीति में इलैक्ट्रानिकी प्ररुप भी है ;

(iv) उचित दर दुकान के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे खाद्यान्नों के नमूनों का प्रदर्शन ;

(v) निरीक्षण अभिकरण को खाद्यान्नों के आबंटन और वितरण से संबंधित बहियों और अभिलेखों को प्रस्तुत करना तथा ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत करना, जैसी कि पदनामित प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए ;

(vi) उचित दर दुकान में मास के अंत में खाद्यान्नों के वास्तविक वितरण और शेष स्टाक के लेखों को स्थानीय प्राधिकारी को एक प्रति सहित, राज्य सरकार के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जाएगा ;

(vii) विहित समय के अनुसार उचित दर दुकान के खोलने और बंद करने को सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(5) किसी उचित दर दुकान के स्वामी से अभिलेखों का सारांश अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई राशन कार्ड धारक राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस जमा कराने के साथ स्वामी को लिखित आवेदन करेगा। उचित दर दुकान का स्वामी राशन कार्ड धारक को अभिलेखों के ऐसे सारांश आवेदन और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रदान करेगा :

परंतु राज्य सरकार उस अवधि को विहित कर सकेगी जिसके लिए उचित दर दुकान के स्वामी द्वारा राशन कार्ड धारक को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए अभिलेख रखे जाएंगे।

(6) राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उन मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित करेगी जहां उचित दर दुकान का स्वामी उपखंड (5) में निर्दिष्ट रीति में राशनकार्ड धारक को अभिलेखों को प्रदान नहीं करता है और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करेगा कि राशन कार्ड धारक को अभिलेख बिना किसी अनुचित विलंब के उपलब्ध कराएं जाते हैं।

(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन की बाबत, जिसके अंतर्गत उचित दर दुकान के स्वामी द्वारा कारित कोई अनियमितता भी है, त्वरित कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत उचित दर दुकान के स्वामी की अनुज्ञप्ति को निरस्त या रद्द करना भी है।

(8) राज्य सरकार वह अधिकतम कालावधि विहित करेगी जिसमें उचित दर दुकान के स्वामी द्वारा कारित अनियमितताओं की जांच के संबंध में कार्यवाही, जिसका परिणाम उपखंड (7) के अधीन कोई कार्रवाई है, पूरी की जाएंगी।

(9) अनुज्ञप्ति को निरस्त या रद्द करने की दशा में, राज्य सरकार पात्र गृहस्थियों को खाद्यान्नों की बिना किसी व्यवधान के आपूर्ति का सुनिश्चय करने के लिए वैकल्पिक प्रबंध करेगी :

(14) राज्य सरकार राज्य में उचित दर दुकानों के कार्यकरण के संबंध में विभिन्न स्तरों पर आवधिक रिपोर्टिंग की एक प्रणाली विहित करेगी, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मंच भी है।

(15) राज्य सरकार इलैक्ट्रानिक मंच के माध्यम से लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालनों की मानीटरी सुनिश्चित करेगी।

स्पष्टीकरण.—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए "एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रचालन" में फायदाग्राही, राशन कार्डों और अन्य डाटा बेसों का डिजिटाइजेशन; आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण; पारदर्शिता पोर्टल की स्थापना, शिकायत निवारण तंत्र और उचित दर दुकान के स्वचालन से संबंधित कार्यकलाप शामिल है।

(16) राज्य सरकार राशन कार्ड धारकों को उनके अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के बारे मे इलैक्ट्रानिकी और प्रिंट माध्यमों के साथ उचित दर दुकानों के बाहर प्रदर्शन बोर्डों के माध्यम से शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी।

12. पारदर्शिता और जवाबदेही – (1) लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा और उन्हें राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति में सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय, जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित करेगा या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अपने निष्कर्षों को प्रचारित करवाएगा तथा अपेक्षित कार्रवाई करेगा।

(3) केंद्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, तो ऐसे स्वतंत्र अभिकरणों, जिनके पास सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित करने का अनुभव है, के माध्यम से ऐसी परीक्षा करवा सकेगी या करवाना कारित करेगी।

13. शास्ति—यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम की धारा 7 के अधीन दंड का दायी होगा।

14. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति – (1) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों की जांच या मांग कर सकेगा, जो उसके द्वारा जांच करने के लिए आवश्यक समझे जाएं और वह उसके समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों या दस्तावेजों से उद्धरण या प्रतियां ले सकेगा।

(2) यदि उपखंड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के पास किसी परिवाद के प्राप्त करने पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है या इस आदेश की अनुपालना करने की दृष्टि से वह उचित दर दुकान या किन्हीं परिसरों, जो उचित दर दुकान के कारबार के संव्यवहार से सुसंगत है, में प्रविष्ट हो सकेगा, उनकी जांच या तलाशी कर सकेगा।

(3) उपखंड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी खाद्यान्नों के लेखाओं या स्टाक की ऐसी लेखा बहियों की तलाशी, अभिग्रहण कर सकेगा या उन्हें हटा सकेगा, जहां ऐसे प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इनका उपयोग इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में किया जा रहा है या किया जाएगा।

(4) उपखंड (3) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण करने वाला उपखंड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, की गई तलाशी और उस खंड के अधीन उसके द्वारा अभिग्रहण किए गए खाद्यान्नों के स्टाक के ब्यौरों से सूचित करेगा।

(5) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंध इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

15. अपील—(1) राज्य सरकार इस आदेश के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदेशित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून उस सरकार के किसी अधिकारी की अपील अधिकारी के रूप में नियुक्ति करेगी :

परंतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित अपील को ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे निपटाया जाएगा मानो कि यह आदेश नहीं किया गया था।

(2) किसी राशन कार्ड को जारी करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने या राशनकार्ड को रद्द करने के नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी को आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा।

16	महाराष्ट्र	112,372,972	76.32	45.34	46,971,481	23,045,203	70,016,683	2,505,300
17	मणिपुर	2,855,794	88.56	85.75	1,790,364	715,287	2,505,651	63,600
18	मेघालय	2,964,007	77.79	50.87	1,842,823	302,695	2,145,517	70,200
19	मिजोरम	1,091,014	81.88	48.60	433,175	273,121	706,296	26,100
20	नगालैंड	1,980,602	79.83	61.98	1,123,097	355,605	1,478,702	47,500
21	ओडिशा	41,947,358	82.17	55.77	28,719,429	3,901,738	32,621,167	1,264,500
22	पंजाब	27,704,236	54.79	44.83	9,487,875	4,656,688	14,144,562	179,400
23	राजस्थान	68,621,012	69.09	53.00	35,609,149	9,052,811	44,661,960	932,100
24	सिक्किम	607,688	75.74	40.36	345,346	61,237	406,582	16,500
25	तमिलनाडु	72,138,958	62.55	37.79	23,261,863	13,207,503	36,469,365	1,864,600
26	त्रिपुरा	3,671,032	74.75	49.54	2,025,763	476,070	2,501,833	113,100
27	उत्तर प्रदेश	199,581,477	79.56	64.43	123,406,329	28,652,314	152,058,643	4,094,500
28	उत्तराखंड	10,116,752	65.26	52.05	4,584,895	1,608,953	6,193,849	190,900
29	पश्चिम बंगाल	91,347,736	74.47	47.55	46,330,525	13,853,246	60,183,770	1,985,700
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	379,944	24.94	1.70	60,956	2,304	63,260	10,700
31	चंडीगढ	1,054,686	38.54	47.26	11,178	484,737	495,915	8,800
32	दादरा और नगर हवेली	342,853	84.19	51.54	154,088	82,376	236,464	6,900
33	दमन और दीव	242,911	26.66	56.47	16,084	103,103	119,187	1,500
34	लक्षद्वीप	64,429	35.30	33.56	4,985	16,883	21,868	1,200
35	पुडुचेरी	1,244,464	59.68	46.94	235,343	399,048	634,390	32,200
	योग	1,210,327,463	75	50	624,929,906	186,561,229	813,491,135	24,999,800

* राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन कवर किए जाने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या के भीतर जैसा कि स्तम्भ 5(iii) में उपदर्शित है।

उपाबंध 2

अपात्र या बोगस राशन कार्डों के बिलोप और पात्र गृहस्थियों को शामिल करने का जून /सितंबर/दिसंबर/मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरण – [खंड 4 का उपखंड (20) देखें]

I. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वित करने वाले राज्य

गृहस्थी/ फायदाग्राही प्रवर्ग	तिमाही के आरंभ में विद्यमान राशन कार्डों की संख्या	जून को समाप्त होने वाली पहली तिमाही		सितंबर को समाप्त होने वाली दूसरी तिमाही		दिसंबर को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही		मार्च को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही		तिमाही/वर्ष के अंत में राशन कार्डों की संख्या
		बिलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए नए राशन कार्डों की संख्या	बिलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	बिलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	बिलोप/रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या	जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या	
पूर्विकता										
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) गृहस्थियां										

* अभिकरण की किस्म के संबंध में कृपया उपदर्शित करे कि क्या राज्य नागरिक आपूर्ति या अन्य शीर्ष निकाय, सहकारी सोसाइटियां, निजी अभिकरण अर्थात् थोक विक्रेता, सैम्पस, पीएसीएस आदि या अन्य कोई अभिकरण हैं। किसी राज्य में द्वार से द्वार तक एक से अधिक अभिकरण द्वारा परिदान किए जाने की दशा में उसे भी उपदर्शित किया जाएगा।

टिप्पण–प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

उपाबंध 4

भारत सरकार द्वारा केंद्रीय पूल से आबंटित प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए खाद्यान्नों के वितरण का उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र)) प्रस्तुत करने का प्ररूप [खंड 8 का उपखंड (2) देखें]

वर्ष ..... के लिए उपयोग प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... (वर्ष) के दौरान भारत सरकार द्वारा टीपीडीएस/अतिरिक्त आबंटन के अधीन ..... (मात्रा) टन खाद्यान्न आबंटित किया गया और उन्हें नीचे दिए अनुसार फायदाग्राहियों को वितरित किया गया था , अर्थात् :--

(टनों में)

वस्तु	भारत सरकार द्वारा किया गया आबंटन	राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा	आबंटित मात्रा में से न उठाई गई मात्रा (स्तंभ 2 – स्तंभ 3)	वितरित मात्रा	उठाई गई मात्रा में से शेष मात्रा (स्तंभ 3 – स्तंभ 5)	न उठाई गई/ अवितरित मात्रा, यदि कोई हो, का कारण
1	2	3	4	5	6	7
चावल						
गेहूं						
मोटे अनाज						
योग						

हस्ताक्षर .....
अधिकारी का नाम .....
(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के
सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)

तारीख .....
स्थान .....

टिप्पण –सूचना अगले वित्त वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

	स्थापित की गई सतर्कता समितियों (वीसी) की कुल संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा विहित वीसी की बैठकों की अवधि (अर्थात् मासिक / द्विमासिक / त्रैमासिक)	वित्त वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर			
तहसील स्तर			
जिला स्तर			
खंड स्तर			
उ.द.दु. स्तर			
योग			

टिप्पण –सूचना अगले वित्त वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

उपाबंध 7

शिकायतों से निपटने का विवरण (जून /सितंबर/दिसंबर/मार्च की तिमाही के लिए) [खंड 11 का उपखंड (12) देखें]

क. टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर : .....
ख. शिकायतों के रजिस्ट्रीकरण और निपटान के लिए राज्य पोर्टल का वेब पता : .....

I. शिकायत रजिस्ट्रीकरण और निपटान का विवरण

अवस्थिति/स्रोत	शिकायतों की संख्या का अंतशेष	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	तिमाही के अंत में शिकायतों की संख्या का इतिशेष
1	2	3	4	5
काल सेंटर				
राज्य पोर्टल				
जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ)				
कोई अन्य स्रोत				
योग				

टिप्पण – प्रत्येक तिमाही के अंत के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

(q) words and expressions not defined in this Order but defined in the Act, or the Food Security Act, shall have the meaning respectively assigned to them in those Acts.

3. **Identification of eligible households.**—(1) The State-wise percentage coverage of eligible households under the Food Security Act in rural and urban areas respectively for receiving subsidised foodgrains under the Targeted Public Distribution System shall be as in column 4 of Annex-I. 8.71 cr. (PHH) now covered. 7.60 cr
2501000 (AAY) → Do-

(2) The State-wise ceiling on coverage of number of persons belonging to eligible households for receiving subsidised foodgrains under the Targeted Public Distribution System, indicated in column 5 of Annex-I, shall be under the following two categories—

(i) existing Antyodaya households;
(ii) remaining to be covered under priority households category to be identified by State Government as per criteria to be evolved by them subject to the other provisions of this Order.

(3) The State-wise number of Antyodaya households shall not exceed the accepted number of Antyodaya households in that State, as specified in column 6 of Annex-I:

Provided that when an Antyodaya household becomes ineligible on account of migration outside the State, improvement in social or economic status, death, etc., no new Antyodaya household shall be identified in that State and the total number of Antyodaya households shall be reduced to that extent.

(4) Upon a reduction in the number of Antyodaya households, the States may increase the coverage of the persons to that extent in the priority category, subject to the ceilings prescribed in sub-clause (2).

(5) The State Government shall prepare and notify the guidelines for identification of priority households in the rural and urban areas, with special focus on coverage of all the vulnerable or needy sections of the society, and display the guidelines in the public domain including on the State web portal.

(6) For the purpose of allocation of subsidised foodgrains under Targeted Public Distribution System by the Central Government, there shall be no increase in the State-wise number of persons covered under Targeted Public Distribution System till the data from the next population Census, after the commencement of this Order, becomes available.

(7) The list of eligible households shall be drawn up by the designated authority in respect of area under their jurisdiction.

(8) The State Government shall get the provisional list of eligible households displayed in the public domain including the office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise lists of eligible households and their members.

(9) The State Government shall use the list of persons as compiled during Census of India by the Registrar General and Census Commissioner or voters list notified by Election Commission of India or Socio Economic and Caste Census data or any other authentic source of data to cross-check and verify the list of eligible households and their members.

(10) The State Government shall prescribe the detailed procedure for finalisation of the list of eligible households covering, *inter-alia*, aspects like the process of drawing up of draft list, putting the draft list in the public domain including reading out of the list in meetings of the Gram Sabha or equivalent body in urban areas, inviting objections, disposal of objections, appeals and so on.

(11) The head of the local authority and the designated authority shall jointly verify and certify the final list of eligible households and the local authority shall pass a resolution adopting the final list of the eligible households.

(12) The final list of the eligible households shall be displayed in the public domain including office of the local authority and on the State web portal, showing the category-wise names of eligible households and their members.

(13) The State Government shall regularly review the list of the eligible households for the purpose of deletion of ineligible households or inclusion of eligible households.

(14) During the review, the State Government shall take into account, *inter-alia*, the increase in the number of eligible households or their members due to migration in to the State, birth, marriage, change in social and economic status and the decrease in the number of eligible households or their members due to migration outside the State, death, marriage, change in social or economic status:

Provided that the total number of eligible households after the review shall not exceed the ceilings prescribed in sub-clause (2).

4. **Ration Cards.**—(1) The State Government shall issue ration cards to the eligible households as mentioned in the final list specified under sub-clause (12) of clause 3:

6. **Delivery of foodgrains.**—(1) The Corporation shall ensure physical delivery of foodgrains of prescribed quality specifications upto designated depots in each State for distribution under the Targeted Public Distribution System, as per the allocation made by the Central Government, within seven working days of the receipt of payment from the State Government.

(2) In case of States opting for decentralised procurement, the foodgrains for distribution under Targeted Public Distribution System shall be released by the States as per the allocation made by the Central Government out of the quantity of foodgrains procured and stored for the Central Pool by the State Government or its agencies and in case of any shortfall, the Corporation shall provide the balance quantity of foodgrains at the designated depots in the manner as prescribed in sub-clause (1).

(3) The State Government shall deposit the cost of foodgrains to the Corporation in advance during the month preceding the allocation month so that the foodgrains are lifted from the Corporation as per the time prescribed in sub-clause (9) of clause 7.

7. **Lifting of foodgrains by States.**—(1) The State Government shall lift foodgrains from the designated depots of the Corporation through its authorised agency.

(2) The State Government shall, on getting allocation of foodgrains from the Central Government, issue allocation orders authorising their agencies to lift foodgrains from the Corporation and such order among others shall specify-

(i) number of cards and units;
(ii) balance in hand; and
(iii) allocation made for each month in respect of a fair price shop.

(3) While making allocation to the fair price shop, the designated authority shall take into account the balance stock, if any, lying undistributed with the fair price shop owner for the subsequent allocations.

(4) The designated authority shall ensure that one copy of the allocation order made to the fair price shop is delivered to the local authority, vigilance committees, and any other body nominated by the State Government for monitoring the functioning of the fair price shop.

(5) The State Government shall ensure that the allocation order depicting the stocks of foodgrains allotted during the month to the fair price shops is displayed on the public domain including on the State web portal.

(6) Before taking delivery of foodgrains from the Corporation, an officer of the State Government not below the rank of Food and Civil Supplies Inspector and an officer of the Corporation shall jointly inspect the stocks of foodgrains intended for issue to ensure that the stocks conform to the prescribed quality specifications.

(7) After the joint inspection, the Corporation shall issue to the State Government, before dispatch of foodgrains from godown, one stack-wise sealed sample jointly drawn for display at the fair price shop and a duplicate sealed sample drawn shall be kept with the Corporation for future reference:

Provided that in case the authorised agency of the State Government takes delivery of foodgrains from the Corporation and stores the foodgrains in an intermediate godown before delivering them to the fair price shop dealers, the authorised agency shall follow the procedure under this sub-clause at that intermediate godown:

Provided further that where decentralised procurement of foodgrains is in operation in the States, the authorised agency of the State Government shall follow the procedure under this sub-clause.

(8) The quantity of the samples to be drawn, retention period of the samples and disposal of the samples shall be as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

(9) The State Government shall ensure the lifting of foodgrains from the Corporation by the last day of the month preceding the allocation month.

(10) The extension of time for lifting of foodgrains from the Corporation may be considered by the Central Government or the Corporation only in very rare and deserving cases as per the instructions issued by the Central Government.

(11) The State Government shall devise suitable mechanism for transportation of foodgrains from the Corporation godown to the intermediate godown and the door-step delivery of the foodgrains to the fair price shop:

Provided that the State Government may also transport foodgrains directly to the fair price shop from the Corporation godown and ensure its door-step delivery to the fair price shop.

(12) The State Government shall furnish a report on quarterly basis to the Central Government regarding door-step delivery in the format at Annex-III.

(v) production of books and records relating to the allotment and distribution of foodgrains to the inspecting agency and furnishing of such information as may be called for by the designated authority;

(vi) accounts of the actual distribution of foodgrains and the balance stock at the end of the month, at the fair price shop, shall be sent to the designated authority of the State Government with a copy to the local authority;

(vii) opening and closing of the fair price shop as per the prescribed timings displayed on the notice board.

(5) Any ration card holder desirous of obtaining extracts from the records of a fair price shop owner may make a written request to the owner along with the deposit of the fees specified by the State Government. The fair price shop owner shall provide such extracts of records to the ration card holder within fourteen days from the date of receipt of a request and the fee specified by the State Government:

Provided that the State Government may prescribe the period for which the records are to be kept for providing it to the ration card holder by the fair price shop owner.

(6) The State Government shall prescribe the procedure to be followed by the designated authority in cases where the fair price shop owner does not provide the records in the manner referred in sub-clause (5) to the ration card holder in the stipulated period and the designated authority in each case shall ensure that the records are provided to the ration card holder without any undue delay.

(7) The designated authority shall take prompt action in respect of violation of any condition of licence including any irregularity committed by the fair price shop owner, which may include suspension or cancellation of the fair price shop owner's licence.

(8) The State Government shall prescribe the maximum period within which proceedings relating to enquiry into irregularities committed by the fair price shop owner shall be concluded, resulting in any action as under sub-clause (7).

(9) In case of suspension or cancellation of the licence, the State Government shall make alternative arrangements for ensuring uninterrupted supply of foodgrains to the eligible households:

Provided that in case of cancellation of the licence of the fair price shop owner, new licence shall be issued within a month of cancellation.

(10) The State Government shall furnish complete information on action taken against a fair price shop owner under this clause annually to the Central Government in the format at Annex-V.

11. **Monitoring.**—(1) The State Government shall ensure regular inspections of fair price shops not less than once in three months by the designated authority. The State Government shall issue orders specifying the inspection schedule, list of check points and the authority responsible for ensuring compliance with the said orders.

(2) The State Government shall ensure that stocks of foodgrains under the Targeted Public Distribution System, as issued from the Corporation godowns, are not replaced or tampered with during storage, transit or any other stage till delivery to the ration card holder.

(3) Any authority or any person authorised by it in this behalf or any other person, who is engaged in the distribution and handling of foodgrains under the Targeted Public Distribution System, shall not indulge in substitution or adulteration or diversion or theft of stocks at any stage till delivery to the ration card holder.

Explanation.—For the purpose of this clause,-

(i) "**diversion**" means unauthorised movement or delivery of foodgrains released from godowns but not reaching the intended beneficiaries under the Targeted Public Distribution System.

(ii) "**substitution**" means replacement of foodgrains released from godowns with the same articles of inferior quality for distribution to the intended beneficiaries under the Targeted Public Distribution System.

(4) The State Government shall set up vigilance committees for the Targeted Public Distribution System at the State, District, Block and fair price shop levels as per the provisions of the Food Security Act to perform functions as specified in the said Act.

(5) Meetings of the vigilance committees shall be held at least once every quarter at all levels and the date and periodicity of the meeting shall be notified by the State Governments and given wide publicity.

(6) The State Government shall send a report annually to the Central Government on the functioning of vigilance committees in the format at Annex-VI.

(7) The number of meetings held by the vigilance committees shall be displayed on the State web portal and the action taken on issues discussed in meetings of vigilance committees shall be reviewed in the next meeting.

15. **Appeal.**—(1) The State Governments shall appoint an officer of that Government not below the rank of Additional District Magistrate of a District as an Appellate Authority for exercising the powers conferred upon and discharging the functions assigned to him under this Order.

Provided that an appeal pending before an Appellate Authority appointed under the Public Distribution System (Control) Order, 2001 shall be disposed of by such authority as if this Order had not been made.

(2) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of a ration card or cancellation of the ration card may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order.

(3) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of the licence to the fair price shop owner, or cancellation of the licence may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order and the Appellate Authority shall, as far as practicable, dispose the appeal within a period of sixty days:

Provided that once an appeal has been disposed of by the Appellate Authority, the time for issue or renewal of the licence of the fair price shop owner by the designated authority referred in sub-clause (9) of clause 10 shall begin from the date of decision of the Appellate Authority on the appeal.

(4) No appeal shall be disposed of unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) Pending the disposal of an appeal, the Appellate Authority may direct that the order under appeal shall not take effect for such period as the authority may consider necessary for giving a reasonable opportunity to the other party under sub-clause (4) or until the appeal is disposed of, whichever is earlier.

16. **Protection of action taken under order.**—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Order.

17. **Power of Central Government to give directions.**—The Central Government may give such directions as it may deem necessary to the State Government for execution of all or any of the provisions of this Order.

[F. No. 9(4)/2012-PD.II]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Annex - I

Coverage under the Targeted Public Distribution System under section 3(2) of the National Food Security Act, 2013 (see clause 3)

S. No.	State / UT	Population (Census 2011)	Coverage					Antyodaya Anna Yojana (Number of families)*
			as percentage of population		Number of persons to be covered			
			Rural	Urban	Rural	Urban	Total	
1	2	3	4(i)	4(ii)	5(i)	5(ii)	5(iii)	6
1	Andhra Pradesh	84,665,533	60.96	41.14	34,327,666	11,664,731	45,992,397	1,557,800
2	Arunachal Pradesh	1,382,611	66.31	51.55	708,963	161,581	870,545	38,000
3	Assam	31,169,272	84.17	60.35	22,541,160	2,648,614	25,189,775	704,000
4	Bihar	103,804,637	85.12	74.53	78,374,264	8,742,078	87,116,341	2,501,000
5	Chhattisgarh	25,540,196	84.25	59.98	16,516,082	3,560,735	20,076,817	718,900
6	Delhi (NCT)	16,753,235	37.69	43.59	158,041	7,119,954	7,277,995	156,800
7	Goa	1,457,723	42.24	33.02	232,917	299,263	532,181	18,400
8	Gujarat	60,383,628	74.64	48.25	25,878,298	12,406,431	38,284,729	812,800
9	Haryana	25,353,081	54.61	41.05	9,027,848	3,621,262	12,649,110	302,500
10	Himachal Pradesh	6,856,509	56.23	30.99	3,468,157	213,429	3,681,586	197,100
11	Jammu and Kashmir	12,548,926	63.55	47.10	5,805,178	1,608,044	7,413,222	282,200
12	Jharkhand	32,966,238	86.48	60.20	21,651,951	4,773,434	26,425,385	917,900
13	Karnataka	61,130,704	76.04	49.36	28,554,943	11,638,187	40,193,130	1,199,700
14	Kerala	33,387,677	52.63	39.50	9,186,833	6,293,208	15,480,040	595,800
15	Madhya Pradesh	72,597,565	80.10	62.61	42,082,857	12,559,357	54,642,214	1,581,600
16	Maharashtra	112,372,972	76.32	45.34	46,971,481	23,045,203	70,016,683	2,505,300
17	Manipur	2,855,794	88.56	85.75	1,790,364	715,287	2,505,651	63,600
18	Meghalaya	2,964,007	77.79	50.87	1,842,823	302,695	2,145,517	70,200

15. **Appeal.**—(1) The State Governments shall appoint an officer of that Government not below the rank of Additional District Magistrate of a District as an Appellate Authority for exercising the powers conferred upon and discharging the functions assigned to him under this Order.

Provided that an appeal pending before an Appellate Authority appointed under the Public Distribution System (Control) Order, 2001 shall be disposed of by such authority as if this Order had not been made.

(2) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of a ration card or cancellation of the ration card may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order.

(3) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of the licence to the fair price shop owner, or cancellation of the licence may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order and the Appellate Authority shall, as far as practicable, dispose the appeal within a period of sixty days:

Provided that once an appeal has been disposed of by the Appellate Authority, the time for issue or renewal of the licence of the fair price shop owner by the designated authority referred in sub-clause (9) of clause 10 shall begin from the date of decision of the Appellate Authority on the appeal.

(4) No appeal shall be disposed of unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) Pending the disposal of an appeal, the Appellate Authority may direct that the order under appeal shall not take effect for such period as the authority may consider necessary for giving a reasonable opportunity to the other party under sub-clause (4) or until the appeal is disposed of, whichever is earlier.

16. **Protection of action taken under order.**—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Order.

17. **Power of Central Government to give directions.**—The Central Government may give such directions as it may deem necessary to the State Government for execution of all or any of the provisions of this Order.

[F. No. 9(4)/2012-PD.II]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Annex - I

Coverage under the Targeted Public Distribution System under section 3(2) of the National Food Security Act, 2013 (see clause 3)

S. No.	State / UT	Population (Census 2011)	Coverage					Antyodaya Anna Yojana (Number of families)*
			as percentage of population		Number of persons to be covered			
			Rural	Urban	Rural	Urban	Total	
1	2	3	4(i)	4(ii)	5(i)	5(ii)	5(iii)	6
1	Andhra Pradesh	84,665,533	60.96	41.14	34,327,666	11,664,731	45,992,397	1,557,800
2	Arunachal Pradesh	1,382,611	66.31	51.55	708,963	161,581	870,545	38,000
3	Assam	31,169,272	84.17	60.35	22,541,160	2,648,614	25,189,775	704,000
4	Bihar	103,804,637	85.12	74.53	78,374,264	8,742,078	87,116,341	2,501,000
5	Chhattisgarh	25,540,196	84.25	59.98	16,516,082	3,560,735	20,076,817	718,900
6	Delhi (NCT)	16,753,235	37.69	43.59	158,041	7,119,954	7,277,995	156,800
7	Goa	1,457,723	42.24	33.02	232,917	299,263	532,181	18,400
8	Gujarat	60,383,628	74.64	48.25	25,878,298	12,406,431	38,284,729	812,800
9	Haryana	25,353,081	54.61	41.05	9,027,848	3,621,262	12,649,110	302,500
10	Himachal Pradesh	6,856,509	56.23	30.99	3,468,157	213,429	3,681,586	197,100
11	Jammu and Kashmir	12,548,926	63.55	47.10	5,805,178	1,608,044	7,413,222	282,200
12	Jharkhand	32,966,238	86.48	60.20	21,651,951	4,773,434	26,425,385	917,900
13	Karnataka	61,130,704	76.04	49.36	28,554,943	11,638,187	40,193,130	1,199,700
14	Kerala	33,387,677	52.63	39.50	9,186,833	6,293,208	15,480,040	595,800
15	Madhya Pradesh	72,597,565	80.10	62.61	42,082,857	12,559,357	54,642,214	1,581,600
16	Maharashtra	112,372,972	76.32	45.34	46,971,481	23,045,203	70,016,683	2,505,300
17	Manipur	2,855,794	88.56	85.75	1,790,364	715,287	2,505,651	63,600
18	Meghalaya	2,964,007	77.79	50.87	1,842,823	302,695	2,145,517	70,200

II. States yet to start implementation of NFSA:

Household/ Beneficiary Category	Existing number of ration cards at beginning of the quarter	First Quarter ending June		Second Quarter ending September		Third Quarter ending December		Fourth Quarter ending March		No. of ration cards at the end of the quarter/year
		Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	Number of ration cards deleted / cancelled	Number of new ration cards issued	
Antyodaya Anny Yojana (AAY)										
Below Poverty Line (BPL)										
Above Poverty Line (APL)										
Total										

Note: The information shall be furnished within two weeks after the end of every quarter.

Annex-III

Statement on doorstep delivery to the fair price shops for the quarter ending June/Sept/Dec/March [see sub-clause (12) of clause 7]

Total number of districts in the State/UT: _____

Total number of FPSs in the State/UT: _____

Sl. No.	Name of Agency	Type of Agency*	Nos. of districts covered under doorstep delivery by the Agencies	Total numbers of FPSs covered by the Agency under doorstep delivery
1				
2				
3				
4				
Total				

*As regards the type of agency, please indicate whether State Civil Supplies Corporation or other apex body, Cooperative Societies, Private Agency e.g. wholesalers, LAMPS, PACS etc., or any other agency. In case more than one agency is making door-step delivery in a one district, same may also be indicated.

Note: The information shall be furnished within two weeks after the end of every quarter.

1327 GI/15-7